पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 7635 / अका. / का.प. / 2009 रायपुर, दिनांक : 14/10/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 13.10.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो.. बंशीलाल खण्डेलवाल	–	सदस्य
3.	प्रो. विभुति राय	–	सदस्य
4.	प्रो. एस.के. सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
6.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
7.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
8.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
9.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
10.	श्री महेश चंद्र शर्मा	–	सदस्य
11.	डॉ. उज्जवल पाटनी	–	सदस्य
12.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
13.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
14.	डॉ. बी.पी. साहू, प्रभारी कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.09.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णय : सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. डॉ. एस.जे. केकरे का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 820/2009 दिनांक 27.08.2009 पर विचार किया गया।

निर्णय : डॉ. एस.जे. केकरे को पत्र के द्वारा सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये पूर्व के निर्णयों का पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा अपितु भविष्य में किसी भी परीक्षक को परीक्षा मूल्यांकन कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में दोष सिद्ध करने अथवा उन्हें दण्डित करने के पूर्व बचाव का पूरा अवसर दिया जायेगा।

3. छठवें वेतनमान के प्रथम किश्त एरियर्स की राशि कर्मचारियों को भुगतान करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठवें वेतनमान प्रदान करने के फलस्वरूप उनके एरियर्स की राशि राज्य शासन के प्रावधानानुसार ही भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में छठवें वेतनमान देने तथा एरियर्स भुगतान के संबंध में राज्य शासन की स्वीकृति नहीं ली गई है। भविष्य में शासन की स्वीकृति पश्चात् भुगतान संबंधी कार्यवाही की जाय। दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखकर प्रथम 10 माह (1 जनवरी 2006 से 31 अक्टूबर 2006 तक) के एरियर्स की राशि के समतुल्य राशि कर्मचारियों/अधिकारियों को अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाय।

4. चक्रानुक्रम में विभागाध्यक्ष नियुक्ति के संबंध से संशोधित विनियम पर विचार किया गया।

निर्णय : विनियम की प्रति विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को भेजकर उनसे अभिमत प्राप्त किया जाय तथा प्राप्त अभिमत एवं सुझावों की समीक्षा करते हुए विनियम को अंतिम रूप देकर कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

5. विश्वविद्यालय के निलम्बित सहायक यंत्री श्री बी.पी. भंवर के विरूद्ध गठित विभागीय जाँच पश्चात्, जाँच अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय : जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया है। प्रतिवेदन में अनेक आरोप बिन्दुओं के संबंध में यह लिखा है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय निर्णय लें। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आरोपो के संबंध में मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये ऐसी स्थिति में सम्यक जाँच नहीं मानी जा सकती। कार्यपरिषद् में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जाता है। श्री भंवर को यथास्थिति में निलम्बित रखा जाय तथा नये सिरे से जाँच कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में लाए जाय।

6. प्रो. के.एस. पटेल एवं डॉ. मनीष रॉय, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को निलम्बन से सेवा में बहाल किये जाने की सूचना ग्रहण किया गया।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

7. डॉ. बी.पी. साहू, उप कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को निलम्बन से सेवा में बहाल किये जाने की सूचना ग्रहण किया गया।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

8. स्टेडिंग कौसिंल की पैनल में नियुक्त किये गये अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक पर विचार करना।

निर्णय : पैनल में रखे अधिवक्ताओं को प्रत्येक प्रकरण के लिये पृथक– पृथक पारिश्रमिक दिया जाय। श्री मनोज कुमार दुबे के संबंध में पूर्व में लिये गये निर्णय को संशोधित कर आदेश प्रसारित किया जाय।

9 U.G.C. Merged Scheme के तहत Proposal पर विचार किया गया।

निर्णय : U.G.C. Merged Scheme के तहत निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई

क्र.	प्रेषक	Proposal का नाम	कुल राशि
1	अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	(अ) फुटबाल मैदान का निर्माण (10.16 लाख) (ब) सैंड ट्रेक का निर्माण (रू. 2.97 लाख) (स) प्रेक्टिस तथा टेस्टींग वाल निर्माण (रू. 1.51 लाख)	रू. 14.16 लाख
2	अध्यक्ष, मनोविज्ञान अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	डे केयर सेंटर	रू. 5,00,100/– (पांच लाख एक सौ रूपये)
3	अध्यक्ष, भू–विज्ञान अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	SC/ST/OBC/Minorities कोचिंग सेंटर	5.00 Lack for Non-recurring 7.00 lack Recurring expenditure

10. निम्नलिखित विभागों के इम्प्रेस्ट राशि वृद्धि के प्रकरण पर विचार किया गया।

1.	भूगोल अध्ययनशाला	रू. 5000/– से रू. 10,000/–
2.	दर्शन एवं योग अध्ययनशाला	रू. 1500/– से रू. 5,000/–
3.	गाँधी छात्रावास	रू. 2,000/– से रू. 5,000/–
4.	कुलअनुशासक	रू. 1000/– से रू. 5,000/–
5.	आजाद छात्रावास	रू. 2,000/– से रू. 5,000/–

निर्णय : संशोधित दर पर इम्प्रेस्ट की राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

11. बस्तर विश्वविद्यालय को वापस की गई **राशि रू. 1,20,03,548=00** (चेक क्रमांक 196871 दिनांक 05.10.2009) की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

पूरक विषयसूची

01. सेठ रतन चंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : परिनियम 28 के तहत् निर्धारित चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के आधार पर सभी अशासकीय महाविद्यालयों को शिक्षकों का नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए। यह गम्भीर प्रकरण है कि महाविद्यालय पैनल के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पत्र न दें तथा अपनी मनमानी विश्वविद्यालय पर थोपे। सेठ रतन चंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया जाय कि विश्वविद्यालय के नियमों/निर्देशों का पालन न करने के फलस्वरूप क्यों न उनके महाविद्यालय को सत्र 2010–11 में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय, यही प्रक्रिया उन अन्य महाविद्यालय के लिये भी अपनाई जाय जो विश्वविद्यालय के नियम/निर्देश का पालन नहीं करते।

भविष्य में जिन शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त होती है, उनकी चयन सूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाय जिसकी प्रति संबंधित प्रत्याशी को भी दी जाय। महाविद्यालय को यह भी निर्देश दिया जाय कि चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करें एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से विश्वविद्यालय को अवगत कराये।

02. Remedial Coaching for SC/ST Candidate प्रारंभ करने की अनुमति/स्वीकृति, दिये जाने पर विचार किया गया।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

03. NET कक्षा प्रारंभ करने की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया गया।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

04. शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, रायपुर को अंग्रेजी विषय में **"शोध केन्द्र की मान्यता"** के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

01. नियुक्ति संबंधी लिफाफे खोले जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विभागों में शिक्षकों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु चयन समिति अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गये तथा नियुक्ति हेतु मान्य किया गया।

बायोसाइंस –

क्र	नाम	पद	श्रेणी	भर्ती का स्वरूप
01	डॉ. शिवकांत प्रसाद	प्रोफेसर	अनारक्षित	सीधी भर्ती

क्र	नाम	पद	भर्ती का स्वरूप	पदोन्नति तिथि
01	डॉ. अश्वनी कुमार गुप्ता	प्रोफेसर	कैरियर एडवांस	29.08.2005
02	डॉ. सुभाषचन्द्र नैथानी	प्रोफेसर	कैरियर एडवांस	27.07.2006

रसायन विभाग –

क्र	नाम	पद	भर्ती का स्वरूप	पदोन्नति तिथि
01	डॉ. कल्लोल कुमार घोष	प्रोफेसर	कैरियर एडवांस	27.07.2006

कम्प्यूटर अध्ययनशाला –

क्र	नाम	पद	श्रेणी	भर्ती का स्वरूप
01	डॉ. संजय कुमार	रीडर	अनारक्षित	सीधी भर्ती
02	डॉ. (कुमारी) सुषमा जायसवाल	व्याख्याता	अनारक्षित	सीधी भर्ती

प्राचीन भारतीय इतिहास –

क्र	नाम	पद	श्रेणी	भर्ती का स्वरूप
01	डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार	रीडर	अनारक्षित	सीधी भर्ती

02. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.08.2009 के निर्णयानुसार, प्रो. के.एल. तिवारी, बायोटेक्नालॉजी के कैरियर एड्वांसमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुशंसित वेतनमान निर्धारण प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय : डॉ. के.एल. तिवारी से **Undertaking** लेकर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (दिनांक 15.09.2008) से वेतन निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।

03. परिनियम – 28 के तहत निम्नलिखित अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो के नियुक्ति संबंधी लिफाफे खोले गये एवं अनुशंसा मान्य की गई –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नियुक्त प्राचार्य
01	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ जिला–रायपुर	डॉ. ऋषि राज पाण्डेय
02.	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु, चौबे कॉलोनी, रायपुर	डॉ. श्रुति झा

04. अनेक शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में राज्य शासन के अनुमति के आधार पर नई कक्षायें प्रारम्भ की है या सीटों में वृद्धि के साथ प्रवेश दे दिये गये है किंतु किन्ही कारणों से विश्वविद्यालय से निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है। इस बीच वार्षिक परीक्षा 2010 के आवेदन पत्र जमा करने की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। सम्बद्धता न होने के कारण ऐसे महाविद्यलायों को विश्वविद्यालय की ओर से नियमित छात्रों के लिये परीक्षा आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं कराये जा रहे। इस समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया कि शासकीय महाविद्यालयों को निरीक्षण संबंधी कार्यवाही की प्रत्याशा में परीक्षा आवेदन पत्र तत्काल उपलब्ध करा दी जाय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् परीक्षा आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जायें। निरीक्षण संबंधी कार्यवाही यथास्थिति पूर्ण करा ली जाय, ताकि नियमित छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सके।

05. बी.एड्. के 9 महाविद्यालयों के छात्रों की परीक्षा 2009 के परीणाम स्थगित रखे गये थे चूँकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर छात्रों को प्रवेश दिया गया था तथा उन्हें परीक्षा में सम्मीलित किया गया था। अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालय के संचालकों ने यह शपथ पत्र दिया है कि इनके छात्रों के परीणाम घोषित किये जाये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का वे पालन करेंगे। इस आधार पर परीक्षा परीणाम घोषित कर दिये गये। कार्यपरिषद् ने इसकी सूचना ग्रहण की।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 7636 /अका. /का.प. /2009 — रायपुर, दिनांक : 14 /10 /2009

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वित्त नियंत्रक / आन्तरिक अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)